

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 संख्या-410684/XXX(2)/2026 E-26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी 20 दिनों की अभिवृद्धि करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि 10 जून के स्थान पर 30 जून किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के खण्ड (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग को 55 दिवस (आदेश निर्गत की तिथि से) का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। शासन के पत्र संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश दिनांक 06-07-2026 द्वारा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के खण्ड (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के द्वारा जारी समय सारिणी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा महिला शाखा (लेवल-8 वेतनमान रु0 47600-151100) समूह-‘ग’ में निम्नांकित प्रवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय/संस्था में उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (एक) में उल्लिखित प्राविधानानुसार गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी(यथालागू) अथवा माता-पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर)

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय / विकास खण्ड / जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अंजूल सैनी	हिन्दी	रा0क0इ0का0 मंगलौर, नारसन, हरिद्वार	रा0क0इ0का0 रुड़की, हरिद्वार	स्वयं की बीमारी
2	अनुश्री काण्डपाल	संस्कृत	रा0आ0बा0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	स्वयं की बीमारी
3	गमता राणा	जीव विज्ञान	डायट चड़ीगांव, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 ज्वालापुर, बहादुराबाद, हरिद्वार	स्वयं की बीमारी
4	ममया भोज	रसायन विज्ञान	रा0बा0इ0का0 गदरपुर, ऊ0सि0नगर	रा0इ0का0 लालकुँआ, (बालिका संवर्ग), हल्द्वानी, नैनीताल	स्वयं की दिव्यांगता
5	मीनाक्षी कैथिया	अंग्रेजी	रा.बा.इ.का. सितारगंज, ऊ.सि.न.	रा.बा.इ.का. दिनेशपुर, गदरपुर, ऊ.सि.न.	पति की बीमारी
6	सरिता जोशी	गणित	रा0बा0इ0का0 एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	रा0बा0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी	पति की बीमारी
7	शर्मिला रावत	नागरिक शास्त्र	रा0क0इ0का0 संगीपुर, हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 ब्रह्मपुरी, रायपुर, देहरादून	पति की बीमारी
8	मालती शाह	नागरिक शास्त्र	रा0क0इ0का0 धीरवाली हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 राजपुर, रायपुर, देहरादून	पति की बीमारी
9	रंजना पोखरिया	अंग्रेजी	रा.बा.इ.का. शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊ.सि.न.	रा.बा.इ.का. कालाढूँगी, कोटाबाग, नैनीताल	पति की बीमारी
10	लता सनवाल	रसायन विज्ञान	रा0बा0इ0का0 भटेलिया, धारी, नैनीताल	आ०रा०बा०इ०का० पन्तनगर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	पति की दिव्यांगता
11	दीपिका बिस्वास	रसायन विज्ञान	रा0बा0इ0का0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 अल्मोड़ा, हवालबाग, अल्मोड़ा	पिता की बीमारी
12	श्वेता टम्टा	रसायन विज्ञान	रा0बा0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 काशीपुर, ऊ0सि0 नगर	पिता की बीमारी
13	गुरप्रीत कौर	गृहविज्ञान	रा0क0इ0का0 देवायल, सल्ट, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 बाजपुर, उ0सि0न0	पिता की बीमारी
14	सरिता भट्ट	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 साहिया कालसी देहरादून	रा0बा0इ0का0 कारगी, देहरादून	पिता की बीमारी

15	डॉ०गार्गी नैनवाल	संस्कृत	रा०बा०इ०का०रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा०बा०इ०का० हरिपुर कालसी, देहरादून	पिता की बीमारी
16	पूनम शर्मा	रसायन विज्ञान	रा०का०इ०का० देवायल, सल्ट अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० बाजपुर, उ०सि०न०	पिता की बीमारी
17	श्रद्धा जौहरी	अर्थशास्त्र	रा०बा०इ०का० साहिया कालसी, देहरादून	रा०बा०इ०का० कौलागढ़, देहरादून	माता की बीमारी
18	नन्दी पाण्डे	हिन्दी	रा०आ०क०इ०का०, जयन्ती लमगडा, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० हल्द्वानी, नैनीताल	माता की दिव्यांगता
19	मीनाक्षी सेमवाल	भौतिक विज्ञान	रा०बा०इ०का० गोपेश्वर, दशोली, चमोली	रा०बा०इ०का० रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून	ससुर की बीमारी
20	मनीषा जोशी	अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० कोटी कनासर, चकराता, देहरादून	रा०बा०इ०का० ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून सुगम	ससुर की बीमारी
21	बीना रावत जंगपांगी	नागरिक शास्त्र	रा०आ०क०इ०का० जलना, लमगडा, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० दौलियां, हल्द्वानी, नैनीताल	सास की बीमारी
22	डॉ० मनीला जोशी	भौतिक विज्ञान	रा०बा०इ०का० थराली, चमोली	रा०बा०इ०का० कर्णप्रयाग, चमोली	ससुर की दिव्यांगता
23	सोनिका रमोला	नागरिक शास्त्र	अ०उ०रा०इ०का० कण्डारा पौड़ी	रा०बा०इ०का० ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून	सास की बीमारी
24	आशा	संस्कृत	रा०बा०इ०का० स्याल्दे, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० धौलाखेड़ा हल्द्वानी, नैनीताल	पुत्र की बीमारी
25	पूनम	समाजशास्त्र	रा०बा०इ०का० सोमेश्वर, ताकुला, अल्मोड़ा	रा०बा०इ०का० कोटद्वार, दुगड़डा, पौड़ीगढ़वाल	पुत्र की दिव्यांगता

2- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. स्थानान्तरित प्रवक्ता प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर किये गये हैं, इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई-मेल edusewa12@gmail.com के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

ह०/-

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)

अपर निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं०: सेवा-2/3(क)/2(01)/4552-62/अनु०स्थाना०/2026-27 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

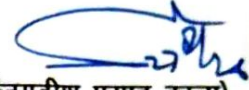
1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
8. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रभावित अतिथि शिक्षकों का तत्काल समायोजन करना सुनिश्चित करें एवं विभागीय वेबसाइट से स्थानान्तरण आदेश प्राप्त कर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के माध्यम से संबंधित प्रवक्ताओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/संस्थाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, संबंधित विद्यालय/संस्था (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति स्थानान्तरित शिक्षक को प्राप्त करवा कर पावती संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित है कि एक ही विद्यालय से एकाधिक विषयों के प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण होने पर जिन विषयों में शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होगी को ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

10. संबंधित प्रवक्ताओं को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।

11. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

12. आदेश गार्ड फाईल।



(जगदीश प्रसाद काला)

उप निदेशक(नामित प्राधिकारी)

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड